विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) हमारी नीति मित्र देशों के आर्डरों को सरकार के स्तर पर स्वीकार करने की है। ये बेचे जाते हैं। सहायता के रूप में कोई आपूर्ति नहीं की गई है।

रोजगार की तलाश करने वाले नये व्यक्ति

*255. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री लालजी भाई :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कितने नये व्यक्ति प्रतिवर्ष रोजगार की तलाश में रहे; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को उपर्युक्त अवधि में रोजगार मिला ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). गत तीन वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा पंजीकृत किए गए तथा नियुक्त कराए गए व्यक्तियों की वर्षवार संख्या :

| वर्ष | पंजीकरण* (द्वारा पंजीकरण सहित) | नियुक्तियां** |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1969 | 42,00,694 | 4,32,182 |
| 1970 | 45 15,934 | 4,47,195 |
| 1971 | 51,29,857 | 5,06,973 |

*शहरी तथा देहाती क्षेत्रों से पंजीकरण के सम्बन्ध में सूचना अलग रूप से उपलब्ध नहीं है।

**तीन वर्षों (1969—71) के दौरान नियोजित उम्मीदवारों की संख्या का इन वर्षों के दौरान पंजीकृत व्यक्तियों से, जिनके बारे में अलग रूप से सूचना उपलब्ध नहीं है, अनिवार्यतः सम्बन्ध नहीं हो सकता।

Industrial Accidents

*256. SHRI FATE SINGHRAO GAEKWAD:
DR. KARNI SINGH:

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the incidence of industrial accidents in the country has of late risen considerably;

(b) if so, the total number of industrial mishaps during the last three years and how many of them proved fatal;

(c) the total loss in terms of money and the total number of man-days lost as a result of industrial accidents during the above period; and

(d) the steps proposed to be taken to improve the safety regulations ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the Sabha. The information regarding total loss in terms of money is not available.

(d) The Safety requirements laid down in the State Factories Rules framed under the Factories Act, 1948, and Regulations framed under the Mines Act, 1952 are constantly reviewed, enlarged and improved upon wherever considered necessary.